संख्या-DFA/ 590344 /38-7099(99)/38/2022

प्रेषक,

सुखलाल भारती,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 06/11/2023

विषयः- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत क्षेत्र पंचायतों द्वारा इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सी के रूप में कार्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1783/38-7-2021-63 नरेगा/2009, दिनांक 24-12-2021, शासनादेश संख्या-173/38-7-2022-63 नरेगा/2009, दिनांक 07-04-2022 एवं आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या-150/मनरेगा/पत्रासं0-01/2022, दिनांक 19.01.2022 एवं पत्र संख्या-मनरेगा/पत्रासं0-519/1209/2023, दिनांक 31.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतों द्वारा कार्य कराये जाने हेतु प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

शासन द्वारा दिये गये स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद भी फील्ड स्तर पर अभी भी अनुपालन में समस्याएं संज्ञान में आई है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया महात्मा गाधी नरेगा योजनान्तर्गत क्षेत्र पंचायतों द्वारा इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सी के रूप में कार्य करने के संबध में मनरेगा योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्राविधानों तथा शासनादेश दिनांक 24-12-2021, शासनादेश दिनांक 07-04-2022 एवं आयुक्त

कार्यालय के पत्र दिनांक 19.01.2022 एवं दिनांक 31.03.2023 के अनुरूप नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by सुखलाल भारती
Date: 06-11-2023 18:18:21
Reason: Approved

(सुखलाल भारती)
विशेष सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
6. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त(श्रम रोजगार), उ0प्र0।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुखलाल भारती)
विशेष सचिव।